संख्या:26/2026/623ई-2/तेरह-2026-261292

प्रेषक,

दयाराम
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 10 सितंबर, 2026

विषय:-मेसर्स रेडिको खेतान लि., रामपुर आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 1205.07 लाख लीटर के अन्तर्गत पेय क्षमता 1012.26 लाख लीटर (84 प्रतिशत) तथा शेष क्षमता 192.81 लाख लीटर (16 प्रतिशत) औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-30/दो-प्रा.डी.-10/रेडिको खेतान रामपुर, दिनांक 31-07-2026 एवं पत्र संख्या:जी-34/दो-प्रा.डी.-10/रेडिको खेतान लि. रामपुर, दिनांक 11-08-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 31-07-2026 एवं 11-08-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, रामपुर आसवनी इकाई अधिष्ठापित क्षमता 1205.07 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत पेय क्षमता 1012.26 लाख लीटर (84 प्रतिशत) वार्षिक तथा शेष क्षमता 192.81 लाख लीटर (16 प्रतिशत) वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(झ) एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आसवनी द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आसवनी द्वारा FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मदिरा का उत्पादन किया जायेगा।

(4) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या:33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(5) शासनादेश संख्या-864ई-2/तेरह-2023-107/2013 दिनॉक 10-05-2023 द्वारा प्रदेश में स्थित आसवनियों में अलग-अलग प्लाण्ट एवं संचय व्यवस्था होने पर अलग-अलग फीड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से अलग-अलग अल्कोहल (एथनॉल) उत्पादन किये जाने हेतु गाइडलाइन निर्धारित की गयी है, का आसवक द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) इकाई द्वारा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(8) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(9) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(10) आसवनी में रॉ-मैटेरियल के रूप में प्रयुक्त मक्का तथा एफसीआई द्वारा आपूर्तित कॉमन/ग्रेड-ए चावल सहित विभिन्न अनाजों/फीडस्टॉक प्रति कुण्टल से ई.एन.ए./एल्कोहल रिकवरी के संबंध में भारत सरकार से निर्धारित किये जाने वाले मानकों के अनुरूप ई.एन.ए./एल्कोहल की रिकवरी सुनिश्चित करते हुये उत्पादन किया जायेगा।

(11) इकाई द्वारा अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु प्रयुक्त फीड एवं उत्पादित अल्कोहल के अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी शासनादेश संख्या:1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09-12-2024 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(12) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(13) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह०/-

(दयाराम)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in